न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 26 / 2025(GCMS : 2025/31)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर सतनाम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह

बनाम

1. **जसवंत सिंह** पुत्र श्री मीत सिंह निवासी वार्ड नं. 2, रामसिंहपुर, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. **सुखवन्त सिंह** पुत्र श्री मीत सिंह निवासी वार्ड नं. 2, 59 जीबी रामसिंहपुर अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
3. **सुखदेव कौर** पत्नी श्री मुख्त्यार सिंह निवासी वार्ड न [illegible] रामसहिपुर अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

30.06.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहंदीरत्ता एवं गरिमा बंसल ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण जसवंत सिंह, सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर को ऋण सुविधा के रूप में 7.05 / –लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 24.09.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 10.10.2024 को 7,09,084 / – रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुखदेव कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति कार्यालय ग्राम पंचायत 59 जीबी(रामसिंहपुर)** उप पंजयीक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 4, बुक संख्या 73, साईज [illegible] गुणा 46 फीट [illegible] आसापासस– पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, [illegible] सुखदेव कौर की सम्पत्ति है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी [illegible] की सहायता से दि[illegible]जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण जसवंत सिंह, सुखवंत सिंह एवं सुखदेव कौर** को ऋण सुविधा के रूप में 7.05/— लाख रूपये **(अखरे रूपये सात लाख पांच हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 24.09.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखवन्त सिंह ने अपनी अचल **सम्पत्ति कार्यालय ग्राम पंचायत 59 जीबी(रामसिंहपुर) उप पंजयीक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 4, बुक संख्या 73, साईज 44 गुणा 45 फीट जिसका आसापासस— पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में सुखदेव कौर की सम्पत्ति है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.10.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.10.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.10.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुखवन्त सिंह की अचल सम्पत्ति कार्यालय ग्राम पंचायत 59 जीबी(रामसिंहपुर) उप पंजयीक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 4, बुक संख्या 73, साईज 44 गुणा 45 फीट जिसका आसापासस– पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में सुखदेव कौर की सम्पत्ति है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, परन्तु प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त सम्पत्ति सुखदेव कौर की अंकित कर कब्जा चाहा है जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उक्त सम्पत्ति सुखवन्त सिंह की है। इसलिए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू.स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार करने योग्य नहीं है।** प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested